

जनपद बाराबंकी

दिनांक-08.06.2022

मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मा0 विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट) अपर सत्र न्यायाधीश, बाराबंकी ने अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 रू0 अर्थदण्ड से किया दण्डित -

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि0/ कर्म0गण /पैरोकार द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी मा0 न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को माननीय न्याया0 में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी,जिससे माननीय न्यायालय द्वारा थाना टिकैतनगर पर पंजीकृत मु0अ0स0 197/2012 धारा 304 भादवि में अभियुक्त रामबरन पुत्र सिपाहीलाल निवासी विद्यानगर थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी को उपरोक्त धाराओं में मा0 विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट) अपर सत्र न्यायाधीश बाराबंकी द्वारा दोषसिद्ध करते हुये अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढ़ा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि भूरि प्रशंसा की गयी ।

संक्षिप्त विवरण:-

वादिनी ने दिनांक 26.08.2012 को थाना टिकैतनगर प्रार्थना पत्र दिया , कि अभियुक्त द्वारा वादिनी के पति को पैसा मांगने पर ईट व लाठी से मारना जिससे उनकी मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी पर मु0अ0सं0-197/2012 धारा 304 भादवि बनाम रामबरन पुत्र सिपाहीलाल निवासी विद्यानगर थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक एस0ओ0 श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुए, विवेचना के उपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

पुलिस टीम-

- 1-निरीक्षक राकेश प्रताप सिंह प्रभारी मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
- 2-उ0नि0 रामनरेश मिश्रा मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
- 3-हे0का0 अमर बहादुर सिंह मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
- 4- म0का0 प्रतिमा द्विवेदी मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
- 5- का0 नीरज कनौजिया,का0 सन्दीप कुमार मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
- 6- का0 पैरोकार अमलेन्द्र सिंह, का0 पैरोकार शैलेश यादव टिकैतनगर जनपद बाराबंकी